2023/120

FORM NO – 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत जिला कलेक्टर मुकाम– सिरोही

प्रार्थी / अपीलार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी / प्रत्यर्थी**
अल्पेश पुत्र स्व. रावाजी, जाति–सरगडा, निवासी–सुजानपुरा, बरलुट, तहसील– व जिला–सिरोही, हाल–आणद (गुजरात) व अन्य एक		रतीलाल पुत्र पदमारामजी,जाति–सरगडा निवासी–सुजानपुरा, बरलुट, तहसील व जिला– सिरोही, हाल–आणद (गुजरात) व अन्य तीन

किस्म मुकदमा – स्थगन प्रार्थना पत्र

अर्न्तगत धारा 97(2) राजस्थान पंचायती राज अधि. 1994 **प्रकरण संख्या 09/2023**

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
06.7.2023	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी रतीलाल पुत्र पदमाजी सरगडा, निवासी–बरलुट के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 35 दिनांक 23.5.2023 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये निगरानी आवेदन के साथ–साथ राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97(2) के तहत इस न्यायालय में अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही के अवकाश पर होने से प्रस्तुत किया गया है। चूंकि यह प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही के क्षेत्राधिकार में है, परन्तु अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही अवकाश पर है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जावे। मिसल वास्ते तामिली रिपोर्ट आयन्दा दिनांक 21.7.2023 को पेश हो। जिला कलक्टर, सिरोही	
21.07.2023	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या एक व दो स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी संख्या तीन व चार अनुपस्थित। अतः पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 02.08.2023 को पेश हो। जिला कलेक्टर, सिरोही	
02.08.2023	पीठासीन अधिकारी महोदय आवश्यक कार्यों में व्यस्त हो अतः पत्रावली गत आदेश की पालना में आयन्दा दिनांक 16.10.2023 को पेश हो। रीडर	

Scanned with CamScanner

16.10.2023	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री शैतान भाटी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या एक से चार अनुपस्थित। प्रकरण को प्रार्थी अधिवक्ता आगे नहीं चलाना चाहते है एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा इस स्थगन प्रार्थना पत्र को जरिए Not Press खारिज करने का निवेदन किया है। अतः प्रार्थी का यह स्थगन प्रार्थना पत्र जरिए Not Press खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (डॉ. भँवर लाल) जिला कलक्टर,सिरोही	Not Press

Scanned with CamScanner